न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 130/2017

वाद दायरी दिनांक : 15/12/2017

निर्णय दिनांक : 11/09/2019

1. नानूडी पुत्री श्रवण,
2. बदाम पुत्री श्रवण
3. सोनीदेवी पुत्री श्रवण

समस्त जातियान बैरवा, निवासीगण ग्राम मानपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादीगण

बनाम

1. नानूराम पुत्र रामचन्द्र
2. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. कमला पत्नी रामचन्द्र (नाम हजफ किया गया)
5. सुशील पुत्र स्व0 इन्द्रराज
6. प्रेम पत्नी स्व0 इन्द्रराज

समस्त जातियान बैरवा निवासीगण ग्राम मानपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

7. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0टी0ए0)

उपस्थिति — श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हजफ किया गया।
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 5, 6 स्वंय उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 11/09/2019

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07/01/2019 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 227, 3.., 593, 606,722, 723, 728 कुल किता 7 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम मानपुरा,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

तहसील मौजमाबाद का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य वाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया है तथा तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।

तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/एल.आर/19/2348 दिनांक 19/03/2019 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद यदि अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं। नक्शे कुरेजात पक्षकारान के सहमति बाबत हस्ताक्षर भी हैं। अधिवक्ता पक्षकारान ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भानपुरा, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1.	नानूराम, रामजीलाल, ओमप्रकाश पि0 रामचन्द्र हि. 3/4, सुशील पुत्र इन्द्रराज, अनिता पुत्री	592	0.01
		593	1.33
		722 में से	0.01

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

	इन्द्रराज, प्रेमदेवी ध.प. इन्द्रराज हि. 1/4 कौम बैरवा सा0 देह।	723 कुल किता 4	0.38 कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर
2.	नानूडी पुत्री श्रवण, ध.प. हनुमानप्रसाद हि. 115/173, जाति बैरवा सा0 देह हाल आबाद 108 श्रीराम विहार, मान्यावास, मानसरोवर जयपुर राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बगरू मूर्तहीन बदाम पुत्री श्रवण हि. 58/173 कौम बैरवा सा0 देह खातेदार।	227 606 722 में से 728 कुल किता 04	0.58 030 0.37 0.48 कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/09/2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)
(फास्ट ट्रैक)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू जिला जयपुर

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

नानूड़ी, बदाम, सोनीदेवी पुत्रीयान श्रवण, कमला पत्नी भागीरथ जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम मानपुरा तह० मौजमाबाद (जयपुर) बनाम नानूराम, रामजीलाल, ओमप्रकाश, फूलचन्द, रामचन्द, कमला पत्नी रामचन्द, सुशील पुत्र स्व० इन्द्रराज, प्रेम पत्नी इन्द्रराज जातियान बैरवा निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील मौजमाबाद (जयपुर) वगैरा मुद्दायलह

मुकदमा नं. 130 सन 2017

यह मुकदमा आज बरुये इनफिसाल कराई रूबरू श्री औंकारलाल शर्मा

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रति० सं० 4-ग नाम दर्ज, प्रति० सं० 1, 2, 3 व 5, 6 स्वयं उपस्थित व प्रति० सं० 7 की ओर से वकील

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे करेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मानपुरा तह. मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे करेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा इस प्रकार किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 01 सन 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुहर [seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दूदू]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टे.
1	नानूराम, रामनिवास, ओमप्रकाश पि० रामचन्द्र हि. 1/4, सुशीला पुत्र इन्द्रराज, अनिता पुत्री इन्द्रराज, केशदेवी बेवा इन्द्रराज हि. 1/4 कौम बैरवा सा० देह।	592 593 722 में से 723	0.01 1.23 0.01 0.28
		कुल किता-4	कुल रकबा 1.73 है.
2.	नानूडी पुत्री श्रवण, प०प० हनुमानप्रसाद हि० 118/173, जाति बैरवा सा० देह हाल आबाद 108 गणेश विहार, मालवीय नगर मानसरोवर जयपुर, शाहिन आई सी आई सी आई बैंक शाखा बगरू मूलहीन बदाम पुत्री श्रवण हि० 55/173 कौम बैरवा सा० देह खातेदार	227 606 722 में से 728	0.58 0.30 0.37 0.48
		कुल किता-04	कुल रकबा 1.73 है.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.06 12:58:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: